(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या : 132/2015
दायर दिनाकं : 06.06.2015
निर्णय दिनांक : 22.11.2022

उनवान

गिर्राज प्रसाद पुत्र चौथमल जाति जोगी निवासी जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
(वादी)

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र चौथमल जाति जोगी निवासी जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
2. खेमराज पुत्र चौथमल जाति जोगी निवासी जीरोता खुर्द तहसील व जिला दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा ।
4. उप पंजीयक दौसा जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी गिर्राज प्रसाद पुत्र चौथमल जाति जोगी निवासी जीरोता खुर्द द्वारा उक्त वाद पेश किया गया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 709/2 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा एवं जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 अपने–अपने हिस्से पर वाहमी रूप से काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चल आ रहे है। उक्त वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 के मध्य विधिवत रूप से रिकार्ड में कोई बंटवारा नहीं हुआ है तथा उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा जिसका हिस्सा भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 के मध्य काश्त एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादीगण बिना विधिवत बंटवारा हुये उक्त वादग्रस्त आराजी को रहन बय हस्तान्तरण करने व वादी को वादी के हिस्से की आराजी से बेदखल करने को हमेशा प्रयासरत रहते है। दिनांक 31.5.2015 को प्रतिवादीगण अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वादग्रस्त आराजी पर आये ओर भूमि दिखाने लगे तो वादी ने कहा कि इन लोगों को भूमि क्यों दिखा रहे हो तो प्रतिवादीगण 01 व 02 ने ऐलानिया कहा कि हम उक्त आराजी को इन लोगों को बेचान करेंगे। जिस पर वादी ने कहा कि अभी रिकार्ड में उक्त भूमि का कोई विधिवत तकस्मा नहीं हुआ। पहले विधिवत रूप से बंटवारा करा लो तथा जिसके हिस्से में जो भूमि आये उसके बाद ही विक्रय कर लेना, किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 02 नहीं माने और ऐलानिया धमकी दी कि हम कोई तकास्मा नहीं करायेगें व बिना तकास्मा हुये ही भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन हस्तान्तरण कर तुम्हे मौके से बेदखल करवायेगे व भूमि में निर्माण कार्य कर अकृषि के उपयोग में लेवेंगे। जिससे बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना आवश्यक हो गया है। यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त अनुचित उद्देश्य में कामयाब

लगातार ....2....

हो गये तो वादी को अपूर्णीयक्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। ऐसी दशा में वादी न्यायालय हाजा को संरक्षण प्राप्त कर उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश प्रतिन्धित करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अतः धारा–80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न किया है तथा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्नांकित अनुतोष प्रदान करने का अनुरोध किया है।

1. यह कि डिक्री तकास्मा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण 01 व 02 पारित फरमाते हुये वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 709/2 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील, दौसा का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन कर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर पृथक पासबुक व पर्चा लगान कायम करने की कृपा करें।
2. यह कि डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित करते हुये प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को पाबन्द करें कि वे स्वयं अथवा अपने एजेण्टों व नौकरों, सहयोगियों, साथियों आदि के द्वारा उक्त वर्णित आराजी के किसी भी भू–भाग को बिना विधिवत बंटवारा हुये किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन बय हस्तान्तरण करने से वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने से अथवा हर प्रकार से स्थाई रूप से सदैव के लिए प्रतिबन्धित रहे तथा रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से श्री बजरंग लाल शर्मा एडवोकेट ने पॉवर पेश किया। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी उपस्थिति नहीं होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 की विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.12.2019 को जारी की गई तथा तहसीलदार, दौसा से आराजी खसरा नम्बर 709/2 ग्राम जीरोता खुर्द तहसील, दौसा का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स कर कुरेजात चाहे गये। तहसीलदार, दौसा ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2020/3133 दिनांक 17.6.2020 के संलग्न कुरेजात तैयारकर पेश किये।

कुरेजात पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों ने कुरेजात में दर्शाये गये तकास्मे को स्वीकार करते हुये अपने सहमति व्यक्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन करने तथा उक्त वर्णित आराजी के किसी भी भू–भाग को बिना विधिवत बंटवारा हुये रहन बय हस्तान्तरण करने, वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने तथा रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार खसरा नंबर 709/2 रकबा 0.25 है0 पप्पूलाल, गिर्राज प्रसाद, खेमराज पि0 चौथमल जाति जोगी सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। चूँकि प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उभयपक्षों ने तहसीलदार दौसा की ओर से प्रस्तुत कुरेजात में दर्शाये

लगातार ....3....

(9)

(3)

गये तकास्मे को स्वीकार करते हुये अपने सहमति व्यक्त की है। प्रश्नगत भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 व 02 संयुक्त खातेदारी की भूमि होने तथा उनकी ओर से सहमति व्यक्त करने के कारण तकास्मा करने में कोई कानूनी अडचन नही है। अतः वादी की ओर से पेश वाद को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित आराजी खसरा नंबर 709/2 रकबा 0.25 है0 का बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उभय पक्षों को एक–दूसरे के क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	नक्शे की स्थिति
1.	पप्पूलाल पुत्र चौथमल जाति जोगी साकिन देह खातेदार	709/4	0.0833	बारानी–ए	1.04	हरे रंग से दर्शित क्षेत्र।
2	गिर्राज प्रसाद पुत्र चौथमल जाति जोगी साकिन देह खातेदार	709/3	0.0833	बारानी–ए	1.04	नीले रंग से दर्शित क्षेत्र।
3	खेमराज पुत्र चौथमल जाति जोगी साकिन देह खातेदार	709/2	0.0834	बारानी–ए	1.05	लाल रंग से दर्शित क्षेत्र।

तदनुसार पर्चा फाइनल डिक्री जारी हो। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो कि डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

(संजय कुमार गौरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)